

प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रलेखन एकक (एन.डी.यू.) — एक प्रयोग

सरला वर्मा*

प्रस्तावना

भारत में प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। बड़ी संख्या में सरकारी, अर्ध-सरकारी संस्थान एवं निजी संस्थान प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक वर्षों से विविध प्रकार का कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति अभी तक पूर्ण नहीं हो पायी है।

देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (आर.टी.ई.-2009) लागू है जिसे “निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार” कहा जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत 6–14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार है। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा नामांकन और ठहराव, विद्यालय में वंचित वर्गों अर्थात् लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विभिन्न रूप में सक्षम बच्चों की भागीदारी के संदर्भ में भारी सफलता पाई

गई है। फिर भी सामाजिक और जेंडर संबंधी भेदता प्रमुख सरोकार बने हुए हैं, जिन्हें दूर करने के लिए देश में कई प्रयास किए जा रहे हैं।

‘शिक्षा का अधिकार’ से पहले भी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, 1992 (पीओए) के अंतर्गत विभिन्न शैक्षिक योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे – ब्लैकबोर्ड परिचालन (ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड), विद्यालयी शिक्षकों के लिए व्यापक अभिमुखी कार्यक्रम (पी.एम.ओ.एस.टी.), प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष अभिमुखी कार्यक्रम (एस.ओ.पी.टी.), न्यूनतम अधिगम स्तर (एम.एल.एल.), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.), पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रम (एन.एच.पी.), राज्य विशिष्ट शिक्षा परियोजनाएँ और इसी प्रकार के कई अन्य कार्यक्रम लागू किए गए जिनमें सर्व शिक्षा अभियान भी एक ऐसा ही प्रयास है जिसे भारत सरकार द्वारा 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रारंभ किया गया था और इन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर

* असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

आकलित आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न समय पर विभिन्न अवधि के लिए चलाया गया जिससे कि प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

इस प्रकार सरकारी और गैर-सरकारी दोनों स्तरों पर इन नवाचारों, कार्यक्रमों और योजनाओं के होते हुए भी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अपेक्षित लक्ष्य, अपेक्षित स्तर तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसका एक कारण ऐसे माध्यम की अनुपस्थिति भी है जो पूरे देश में जानकारी को इकट्ठा करे, व्यवस्थित करे और उसका प्रचार-प्रसार करे। ऐसे माध्यम की अनुपस्थिति के कारण अक्सर बिना इन अनुभवों को व्यवस्थित करने की विधि के और बिना इनसे लाभ उठाए, प्रयासों और विचारों को दोहरा भी दिया जाता है। अतः इस तरह के माध्यम के निर्माण हेतु एक पहल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा भी की गई थी। एन.सी.ई.आर.टी. की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई। इस परिषद् की स्थापना सरकार द्वारा विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु केंद्र और राज्य सरकारों को नीतियों और कार्यक्रमों में सहायता और सलाह देने के लिए की गई थी जिसके अंतर्गत अनुसंधान, आदर्श पाठ्यपुस्तकें, अनुपूरक सामग्री, पत्रिकाएँ एवं अन्य तत्संबंधी साहित्य तैयार और प्रकाशित करना तथा शैक्षिक किट, मल्टीमीडिया डिजिटल सामग्री आदि का विकास, अध्यापकों के लिए सेवापूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करना तथा नवाचारत्मक शैक्षिक तकनीकें और पद्धतियाँ विकसित और प्रसारित करना आदि कार्यक्रम

प्रमुख हैं। इन सभी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में अलग-अलग विभाग हैं जिनमें से एक प्रारंभिक शिक्षा विभाग भी है।

प्रारंभिक शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों पर परामर्श देता है। यह विभाग सर्वशिक्षा अभियान और बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम — 2009 के कार्यान्वयन हेतु यह राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करता है। सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में यह विभाग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों; जैसे — अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण और विस्तार में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा यह विभाग विद्यालयी शिक्षा में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के निर्माण में सहयोग करता है एवं कक्षा एक से पाँच तक की आदर्श पाठ्यपुस्तकें तैयार करता है। इसके लिए विभाग में समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें प्रतिभागियों को अनेक प्रकार के संदर्भ साहित्यों की आवश्यकता होती है। इस कार्य हेतु कभी-कभी लाइब्रेरी जाना कई बार संभव नहीं हो पाता। अतः संस्थागत स्तर पर इस आवश्यकता को निरंतर अनुभव किया गया कि एक केंद्रीकृत प्रलेखन एकक होना चाहिए जो अनुभवों और पहलों को इकट्ठा कर सके, उनका प्रलेखन कर सके और उनका प्रचार-प्रसार कर सके, जिसे साझा करने से भावी नीति-निर्माण और कार्यक्रम तैयार करने में लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही पाठ्यचर्या,

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करने तथा इनके अंतर्गत सुझाई गई रणनीतियों का क्रियान्वयन करने में सहायता मिल सके। इन सभी कार्यों को करते समय यथास्थान सुविधाएँ एवं सामग्री उपलब्ध कराने में भी यह एकक सहायक होता है।

इस तरह प्राथमिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय प्रलेखन एकक (एन.डी.यू.) की स्थापना 1996-97 में पूर्व शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ केंद्र के रूप में की गई। यह एकक प्रारंभिक शिक्षा विभाग (डी.ई.ई.), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई. आर.टी.), नयी दिल्ली में स्थित है जिसके निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये।



राष्ट्रीय प्रलेखन एकक के उद्देश्य

- प्रारंभिक शिक्षा विभाग के संकाय सदस्यों, विद्यालयों एवं अन्य संगठनों को आवश्यक जानकारी हेतु स्रोत-सामग्री उपलब्ध कराना।
- प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम, परियोजना, प्रलेखन एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी एवं दस्तावेज उपलब्ध कराना।

- प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राज्य संसाधन केंद्र एवं अन्य संस्थानों के द्वारा निर्मित पूर्व शिक्षा उपकरण, भाषा उपकरण, गणित शिक्षण उपकरण एवं अन्य शैक्षिक उपकरण (किट) से संबंधित विषय-वस्तु (दस्तावेजों) को उपलब्ध कराना।
- शैक्षिक पत्रिकाओं, ई.सी.सी.ई. और प्रारंभिक शिक्षा में नवाचारी/संगत सामग्री का प्रलेखन एवं प्रसार करना।

वर्तमान में एन.डी.यू.

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए राष्ट्रीय प्रलेखन एकक विभिन्न (शैक्षिक) संगठनों एवं व्यक्तियों के बीच प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न नवाचार, शीघ्र गणित शिक्षण, विभिन्न विषय-वस्तुओं, सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि यह एन.डी.यू., उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नवीनतम विकास कार्यों, अनुसंधानों, परियोजनाओं और नवाचारी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए 'संसाधन केंद्र' के रूप में कार्य करे एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करे।

कैसे कार्य करता है ?



राष्ट्रीय प्रलेखन एकक पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा के लिए जानकारी इकट्ठा करने और जानकारी प्रदान करने के एक माध्यम की तरह कार्य करता है, जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित दस्तावेजों एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् से संबंधित दस्तावेज, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वार्षिक (रिपोर्ट) प्रतिवेदन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) से संबंधित कुछ दस्तावेज एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों एवं पत्र-पत्रिकाएँ आदि का संकलन किया गया है। अभी वर्तमान में इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम — 2009 से संबंधित दस्तावेजों को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा यह एकक कुछ अन्य कार्य भी करता है जो निम्न हैं —

- यह एकक विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रासंगिक जानकारी के दस्तावेजों एवं पत्र-पत्रिकाओं का चयन तथा संग्रह करता है।
- विभिन्न दस्तावेजों को उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से सुलभ कराने हेतु दस्तावेजों को वर्गीकृत, सूचीबद्ध एवं शैल्फ में व्यवस्थित किया गया है।
- इस एकक में एन.सी.ई.आर.टी. के अलावा अन्य संस्थानों, जैसे — राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एन.बी.टी.), बाल साहित्य न्यास (सी.बी.टी.), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एडसिल, न्यूपा, इग्नू, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.) आदि के द्वारा निर्मित प्रिंट एवं गैर-प्रिंट दोनों प्रकार की सामग्रियाँ को उपलब्ध कराता है।

- यह संकाय सदस्यों को अध्ययन हेतु नियमित समय के लिए पुस्तकें भी उपलब्ध कराता है।
- यह संदर्भ सेवा हेतु शब्दकोश, विश्वकोश एवं अनुसंधान उपकरण भी उपलब्ध कराता है।
- प्रारंभिक शिक्षा विभाग में आने वाले नए पत्र-पत्रिकाओं एवं जानकारीयों का समय-समय पर प्रचार-प्रसार भी करता है।

राष्ट्रीय प्रलेखन एकक के संकलन/संग्रह – राष्ट्रीय प्रलेखन एकक के संकलन/संग्रह में निम्न पाठ्य सामग्री उपलब्ध हैं —

- प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यपुस्तकें (कक्षा 1-8), कहानियों की किताबें एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित पुस्तकें इत्यादि हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध।
- मानचित्र, रेखाचित्र, पोस्टर, पत्रिकाएँ, संवादपत्र, एन.सी.ई.आर.टी. एवं विभाग की वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि।



- शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों; जैसे — शिक्षक-प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, शिक्षण-अधिगम सामग्री, सर्वशिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा गारंटी योजना (ई.जी.एस.), वैकल्पिक एवं

परिवर्तनात्मक शिक्षा एवं विभिन्न विषय-वस्तुओं की प्रिंट सामग्री उपलब्ध हैं।

- प्रिंट सामग्री के अलावा अन्य सामग्री जैसे कि शैक्षिक उपकरण, शैक्षिक खेल सामग्री (गेम्स), ग्लोब एवं श्रव्य-दृश्य सामग्री इत्यादि उपलब्ध हैं।

इस प्रकार प्रलेखन एकक के रूप में, यह छोटा-सा प्रयास बहुत-सी एजेंसियों के साथ सक्रिय भागीदारी और सहयोग निभाकर, संदर्भ सामग्री के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र की नीतियों, आदि की जानकारी का आदान-प्रदान करने के मंच के रूप में कार्य कर सकता है।

सुझाव

पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक-प्रशिक्षण तथा अन्य सहायक सामग्री के निर्माण में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों स्तरों पर जो संस्थाओं में कार्य कर रही हैं, वह इस

तरह के एकक को स्थापित कर लाभान्वित हो सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि —

- आवश्यक संदर्भ सामग्री को वर्गीकृत और सूचीबद्ध कर व्यवस्थित ढंग से तैयार रखें।
- सभी सामग्री का कंप्यूटर में डाटा बेस तैयार रखें।
- समय-समय पर सामग्री को सामयिक (update) करें।
- किसी भी नए संदर्भ के आगमन पर इसकी सूचना विभाग के सभी संकाय सदस्यों को दें, ताकि समय आने पर वे उसका सही प्रयोग कर सकें।
- यदि संभव हो तो संदर्भ ग्रंथों का सारांश भी सभी को मेल द्वारा भेजा जा सकता है।
- एक विज़ीटर रजिस्टर तैयार किया जा सकता है।
- साथ ही हम एक रजिस्टर भी तैयार कर सकते हैं जिसमें किताब वितरण का लेखा-जोखा रखा जा सकता है।